HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14162/2025

Rohit @ Jassi S/o Bajranglal, Aged About 23 Years, Resident Of Sursinghpura, Police Station Phulera, District Jaipur (Presently Petitioner Is In Sub Jail Phulera)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14677/2025

Sonu S/o Shri Laxman, Aged About 20 Years, R/o Kochya, Dhani, Sambhar Lake Police Station Sambhar, District Jaipur (Raj.) (At Present Confined In Sub Jail Shambharlake Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amitabh Vijaywargia
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

13/11/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 324(4), 103(1) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त सोनू से बांस का डंडा बरामद हो चुका है। विष्णु से पाइप बरामद हुआ था, उसकी जमानत न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है। घटना घटित होने के पश्चात प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आना बताया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने मृतक के विनिर्दिष्ट चोटे पहुंचाई हो यह स्पष्ट नहीं होता है। सहअभियुक्तगण राजकुमार उर्फ राज, संजय और दिनेश कुमार उर्फ डी.के., अशोक व अन्य समेकित प्रकरणों का जमानत प्रार्थना पत्र समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का मामला उनसे भिन्न नहीं है, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप है उन्होंने बांस व अन्य वस्तुओं से राहुल बिजारणियां के शरीर के कई हिस्सो पर व सिर पर चोट मारी जिससे राहुल बिजारणियां की मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म के हैं, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में सुरेश जाखड़, कमलेश बिजारणियां व सागर बिजारणियां और राहुल बिजारणियां पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा हमला करने का आरोप है, जिसमें राहुल बिजारणियां की मृत्यु हो चुकी है। सुरेश जाखड़, कमलेश बिजारणियां व सागर बिजारणियां के धारा 180 बीएनएसएस के बयान में यह विनिर्दिष्ट रूप से नहीं आया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने मृतक के तथा अन्य आहतगणों के शरीर के किस अंगों पर किस वस्तु से वार किया है। मृतक राहुल बिजारणियां के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर आई चोट के कारण उसकी मृत्यु होना बताया है, उक्त चोट प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई हो, यह तथ्य इस स्तर पर स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के समान आपराधिक कृत्य के अन्य अभियुक्त राजकुमार उर्फ राज और राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11251/2025, 11579/2025 आदेश दिनांक 16.09.2025 तथा संजय व दिनेश कुमार उर्फ डी.के. का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11250/2025, 11267/2025 आदेश दिनांक 03.09.2025 तथा अशोक व अन्य समेकित प्रकरण का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 6485/2025, 6707/2025, 7040/2025, 7363/2025, 8577/2025, 9677/2025 आदेश दिनांक 14.08.2025 के द्वारा समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का मामला इनसे भिन्न नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रोहित उर्फ जस्सी पुत्र बजरंगलाल 2. सोनू पुत्र लक्ष्मण** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो

सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /9-10